NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 04-09-2026

विषय सूची

पुलिस आधुनिकीकरण मिशन (PMM)

बेल्जियम के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा

भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत के संघर्ष का सुदृढ़ीकरण

रक्षा कूटनीति के लिए 'रक्षा (Raksha)' रूपरेखा

संक्षिप्त समाचार

- एल नीनो (El Niño)
- भारतीय विधिज्ञ परिषद (BCI)
- नैन्सी ग्रेस रोमन अंतरिक्ष दूरबीन
- परमाणु रिएक्टर के लिए थोरियम-आधारित ईंधन
- पिचावरम मैंग्रोव

पुलिस आधुनिकीकरण मिशन (PMM)

संदर्भ

- केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उसने आगामी पाँच वर्षों के दौरान ₹24,000 करोड़ की एक छत्र योजना, जिसे **पुलिस आधुनिकीकरण मिशन (PMM)** कहा गया है, को लागू करना शुरू कर दिया है।

पुलिस आधुनिकीकरण मिशन (PMM) के बारे में

- **कवरेज:** यह योजना लक्षित निवेश, सुधारों तथा प्रौद्योगिकी-आधारित रूपांतरण के माध्यम से राज्य पुलिस बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा केंद्र सरकार की सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियों की आंतरिक सुरक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करेगी।
- **सीसीटीवी अवसंरचना:** राज्यों के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

पुलिस आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी

- भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 2 के अनुसार, पुलिस तथा लोक व्यवस्था राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विषय हैं।
  - अतः इन विषयों के प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है।
- हालाँकि, वित्तीय बाधाओं के कारण राज्य अपने पुलिस बलों का वांछित स्तर तक पूर्ण रूप से आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण नहीं कर पाए हैं। इसलिए, **गृह मंत्रालय (MHA)** राज्यों के प्रयासों एवं संसाधनों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करता रहा है।

भारत में पुलिस बलों से संबंधित मुद्दे

- **अत्यधिक कार्यभार वाला पुलिस बल:** कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध की रोकथाम की अपनी मूल जिम्मेदारियों के अतिरिक्त, पुलिस कर्मियों को अक्सर यातायात प्रबंधन, आपदा प्रतिक्रिया तथा अतिक्रमण हटाने जैसे कार्यों के लिए भी तैनात किया जाता है।
- **जाँच की निम्न गुणवत्ता:** विधि आयोग (2012) ने उल्लेख किया कि भारत में कम दोषसिद्धि दर के प्रमुख कारणों में से एक जाँच की निम्न गुणवत्ता है।
  - पुलिस कर्मियों के पास पेशेवर स्तर की जाँच के लिए आवश्यक पर्याप्त प्रशिक्षण, विशिष्ट विशेषज्ञता तथा आधुनिक फोरेंसिक सहायता का अभाव है।
- **अपर्याप्त पुलिस-जनसंख्या अनुपात:** अनेक राज्यों में पुलिस कर्मियों की कमी है, जिसके कारण पुलिस-जनसंख्या अनुपात प्रतिकूल बना हुआ है।
- **परिचालन स्वायत्तता का अभाव:** पुलिस बल पर नियंत्रण काफी हद तक राजनीतिक कार्यपालिका के हाथों में रहता है।
  - द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) (2007) ने उल्लेख किया कि इस प्रकार का नियंत्रण पुलिस के कार्यों में अनुचित हस्तक्षेप का कारण बन सकता है, जिसमें स्थानांतरण, पदस्थापन तथा परिचालन संबंधी निर्णय शामिल हैं।
- **अपर्याप्त अवसंरचना:** कई पुलिस थानों में अभी भी आधुनिक उपकरणों, वाहनों, संचार प्रणालियों, फोरेंसिक सुविधाओं तथा सीसीटीवी कैमरों जैसी कार्यात्मक निगरानी अवसंरचना का अभाव है।
  - पुलिस बलों में महिलाओं का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व लैंगिक रूप से संवेदनशील पुलिस व्यवस्था को प्रभावित करता है तथा महिलाओं को कुछ प्रकार के अपराधों की रिपोर्ट करने से हतोत्साहित कर सकता है।

पुलिस आधुनिकीकरण के लिए वर्तमान सरकारी पहल

- **पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को सहायता (ASUMP) योजना:** केंद्र सरकार **पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को सहायता (ASUMP)** योजना के माध्यम से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रयासों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है।
  - इसका उद्देश्य पुलिस थानों को आधुनिक प्रौद्योगिकी, हथियारों, संचार प्रणालियों, गतिशीलता संबंधी साधनों तथा पुलिस थानों एवं आवास जैसी चयनित अवसंरचनात्मक सुविधाओं से सुसज्जित करके पुलिस अवसंरचना को अत्याधुनिक स्तर पर सुदृढ़ करना है।
- **पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (MPF) योजना: पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (MPF)** योजना वर्ष 1969-70 में शुरू की गई थी तथा विगत वर्षों के दौरान इसमें कई संशोधन किए गए हैं।
  - इस योजना के अंतर्गत पुलिस थानों के निर्माण तथा आधुनिक हथियारों, निगरानी एवं संचार उपकरणों की उपलब्धता के माध्यम से पुलिस अवसंरचना में सुधार के लिए धनराशि का उपयोग किया जाता है।
  - प्रशिक्षण अवसंरचना का उन्नयन, पुलिस आवास तथा कंप्यूटरीकरण भी इस योजना के अंतर्गत वित्तपोषित किए जाने वाले महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं।

- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर अपराधों एवं अपराधियों से संबंधित सूचनाओं को साझा करने के लिए एक साझा मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से **गृह मंत्रालय (MHA)** ने **अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणालियाँ (CCTNS)** लागू की हैं, जिसके अंतर्गत देशभर के **17,712 पुलिस थानों** को शामिल किया गया है।
- **SMART पुलिसिंग:** इसमें पुलिसिंग गतिविधियों की संपूर्ण श्रृंखला शामिल है, जैसे साइबर अपराध की रोकथाम, नशामुक्ति, नवीनतम उपकरणों के माध्यम से क्षमता निर्माण तथा वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक उपाय आदि।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय

- **परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह मामला:** न्यायालय ने पुलिस थानों के प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया, जिसमें प्रवेश एवं निकास द्वार, लॉक-अप, गलियारे, स्वागत कक्ष तथा निरीक्षकों और उप-निरीक्षकों के कक्ष शामिल हैं।
- **प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) निर्णय:** उच्चतम न्यायालय ने तीन संस्थाओं की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए—**राज्य सुरक्षा आयोग, पुलिस स्थापना बोर्ड तथा पुलिस शिकायत प्राधिकरण।**

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की सिफारिशें

- राज्यों को पुलिस बल के अंदर **विशेषीकृत जाँच इकाइयों** की स्थापना करनी चाहिए, ताकि पेशेवर स्तर पर आपराधिक जाँच सुनिश्चित की जा सके।
- यातायात प्रबंधन, आपदा बचाव तथा अन्य गैर-मुख्य पुलिसिंग गतिविधियों जैसे कार्यों को विशेषीकृत सरकारी विभागों अथवा निजी एजेंसियों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।
- पुलिस कर्मियों को अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप से संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए तथा साथ ही उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए।
- वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की नियुक्तियाँ योग्यता, पेशेवर दक्षता तथा पारदर्शी प्रक्रियाओं के आधार पर की जानी चाहिए।
- पुलिस बलों को **नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण** अपनाना चाहिए तथा जनता के विश्वास एवं सहयोग को बढ़ाने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ सहभागिता को सुदृढ़ करना चाहिए।

स्रोत: PRS, TH

बेल्जियम के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा

संदर्भ

- हाल ही में बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की। यह दो दशकों में किसी बेल्जियम के प्रधानमंत्री की भारत की प्रथम आधिकारिक यात्रा थी।

परिचय

- **द्विपक्षीय व्यापार:** भारत और बेल्जियम ने आगामी पाँच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
  - दोनों देशों ने **भारत-बेल्जियम निवेश फास्ट-ट्रैक तंत्र** के शुभारंभ का स्वागत किया तथा इसे द्विपक्षीय निवेश संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में स्वीकार किया।
- **रक्षा साझेदारी:** दोनों देशों ने नियमित आदान-प्रदान, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा रक्षा-औद्योगिक साझेदारियों के माध्यम से रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए एक आशय-पत्र पर हस्ताक्षर किए।
  - भारत और बेल्जियम ने दोनों देशों की रक्षा कंपनियों के बीच आठ अनुबंधों पर हस्ताक्षर के माध्यम से द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को सुदृढ़ करने की घोषणा की।
- **वैश्विक सुरक्षा:** बेल्जियम ने सुधारित **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)** में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपने समर्थन को दोहराया।
  - अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध तथा साइबर अपराध से निपटने के लिए **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)** और **बेल्जियम की संघीय पुलिस** के बीच एक **समझौता ज्ञापन (MoU)** पर भी हस्ताक्षर किए गए।
- **हरित संक्रमण:** भारत और बेल्जियम ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपने सहयोग को नवीनीकृत किया, जिसमें **हरित हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण तथा अपतटीय पवन ऊर्जा** शामिल हैं।
  - दोनों नेताओं ने सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्टार्टअप तथा उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अधिक सहयोग को भी प्रोत्साहित किया।

भारत-बेल्जियम संबंधों का संक्षिप्त विवरण

- **राजनयिक संबंध:** बेल्जियम स्वतंत्र भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले प्रारंभिक यूरोपीय देशों में से एक था। दोनों देशों के बीच सितंबर 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए।

- जुलाई 2026 में ब्रुसेल्स में **प्रथम बेल्जियम-भारत रणनीतिक संवाद** आयोजित किया गया।
- **भारत-बेल्जियम विदेश कार्यालय परामर्श** का तीसरा दौर वर्ष 2025 में ब्रुसेल्स में आयोजित हुआ।

- **आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध:** वर्ष 1997 में स्थापित **भारत-बेल्जियम-लक्ज़मबर्ग आर्थिक संघ (BLEU) संयुक्त आर्थिक आयोग (JCM)** द्विपक्षीय आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों पर चर्चा के लिए प्रमुख मंच है।
  - वर्ष 2025-26 में भारत और बेल्जियम के बीच द्विपक्षीय व्यापार **13.01 अरब अमेरिकी डॉलर** रहा। भारत के प्रमुख निर्यातों में हीरे, तंबाकू, झींगा, औषधियाँ तथा इस्पात शामिल हैं, जबकि भारत के प्रमुख आयातों में हीरे, औषधीय उत्पाद, मशीनरी एवं यांत्रिक उपकरण तथा एल्युमिनियम स्क्रैप शामिल हैं।
  - अप्रैल 2000 से दिसंबर 2025 तक भारत में बेल्जियम से प्राप्त **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** का कुल प्रवाह **4.2 अरब अमेरिकी डॉलर** रहा, जिससे बेल्जियम भारत में FDI का **18वाँ सबसे बड़ा योगदानकर्ता** बन गया है।
- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:** भारत और बेल्जियम कई समझौता ज्ञापनों (MoUs) के माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग करते हैं:
  - अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग संबंधी 1998 का समझौता ज्ञापन।
  - TERI, भारत और VITO, बेल्जियम के बीच वर्ष 2014 का समझौता ज्ञापन।
  - भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) और SCK-SEN (बेल्जियन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर) के बीच वर्ष 2012 का समझौता ज्ञापन।
- **सांस्कृतिक संबंध:** भारत और बेल्जियम के बीच वर्ष 1973 से सांस्कृतिक समझौता विद्यमान है।
  - वर्ष 2021 में **भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR)** और **BOZAR (सेंटर फॉर फाइन आर्ट्स, ब्रुसेल्स)** के बीच सांस्कृतिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- **भारतीय प्रवासी समुदाय:** बेल्जियम में भारतीय समुदाय में **18,283 अनिवासी भारतीय (NRIs)** तथा **16,717 भारतीय मूल के व्यक्ति (PIOs)** शामिल हैं। इस प्रकार भारतीय समुदाय की कुल संख्या लगभग **35,000** है, जिसमें **1,131 विद्यार्थी** शामिल हैं।
  - भारतीय प्रवासी समुदाय में लगभग **15,000 सिख प्रवासी, 8,000 हीरा कारोबार से जुड़े पेशेवर, 9,000 आईटी पेशेवर तथा 3,000 अन्य लोग** शामिल हैं।

स्रोत: MEA

भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत के संघर्ष का सुदृढ़ीकरण

संदर्भ

- केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा जाँच किए गए भ्रष्टाचार के मामलों के निस्तारण में हो रही देरी को रेखांकित किया है। **31 दिसंबर 2025** तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत **7,229 मामले विचारण हेतु लंबित** थे।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PCA), 1988 के बारे में

- **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988** भारत में सार्वजनिक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी तथा पद के दुरुपयोग से निपटने के लिए बनाया गया प्रमुख विधायी ढाँचा है।
- इस अधिनियम में **भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018** द्वारा महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, जिसके माध्यम से रिश्वतखोरी तथा वाणिज्यिक संगठनों से संबंधित प्रावधानों को और सुदृढ़ किया गया।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की प्रमुख धाराएँ

- **धारा 2:** अधिनियम में **"अनुचित लाभ"** को व्यापक रूप से ऐसे किसी भी परितोषण के रूप में परिभाषित किया गया है, जो विधिसम्मत पारिश्रमिक के अतिरिक्त हो। यह शब्द केवल मौद्रिक या आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है।
- **धारा 3 एवं धारा 4:** अधिनियम केंद्र एवं राज्य सरकारों को अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के विचारण के लिए **विशेष न्यायाधीशों** की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान करता है।
- **धारा 7A:** ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाता है, जो भ्रष्ट या अवैध साधनों अथवा व्यक्तिगत प्रभाव के प्रयोग के माध्यम से किसी लोक सेवक को प्रभावित करने के लिए अनुचित लाभ स्वीकार करता है या प्राप्त करता है।
- **धारा 9:** यदि किसी वाणिज्यिक संगठन से संबद्ध व्यक्ति किसी व्यवसाय को प्राप्त करने या बनाए रखने अथवा व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अनुचित लाभ देता है या देने का वादा करता है, तो ऐसी स्थिति में वाणिज्यिक संगठन की **दायित्वशीलता** का प्रावधान किया गया है।
- **धारा 10:** निर्धारित परिस्थितियों में ऐसे व्यक्तियों की दायित्वशीलता का प्रावधान है, जो संबंधित वाणिज्यिक संगठन के व्यवसाय के संचालन के प्रभारी तथा उसके लिए उत्तरदायी थे।

- **धारा 13:** यह धारा लोक सेवक द्वारा किए गए **आपराधिक कदाचार** को परिभाषित करती है, जिसमें लोक सेवक को सौंपी गई संपत्ति का बेईमानी या कपटपूर्ण रूप से गबन करना शामिल है।
  - इसमें ऐसी स्थिति भी शामिल है, जिसमें कोई लोक सेवक अपने पद पर रहते हुए जानबूझकर **अवैध रूप से स्वयं को समृद्ध** करता है।
- **धारा 18A:** यह धारा अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में संपत्ति की **कुर्की एवं जब्ती** से संबंधित प्रावधानों को लागू करती है। इसके माध्यम से ऐसी संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, जिसके बारे में माना जाता है कि उसे भ्रष्ट आचरण के माध्यम से अर्जित किया गया है।

भारत में भ्रष्टाचार के कारण

- **प्रशासनिक जटिलता:** अत्यधिक विवेकाधीन शक्तियाँ, जटिल प्रक्रियाएँ तथा अनुमोदन के अनेक स्तर लोक अधिकारियों के लिए अवैध परितोषण की माँग करने के अवसर उत्पन्न करते हैं।
- **पारदर्शिता का अभाव:** सार्वजनिक खरीद, लाइसेंस प्रदान करने, भूमि प्रशासन तथा सार्वजनिक संसाधनों के आवंटन में सीमित पारदर्शिता के कारण भ्रष्ट आचरण का पता लगाना कठिन हो जाता है।
- **जाँच में देरी:** लंबी जाँच एवं विचारण से दंड की निश्चितता और तात्कालिकता कम हो जाती है, जिससे भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों का निवारक प्रभाव कमजोर पड़ता है।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप:** जाँच, नियुक्तियों तथा स्थानांतरण में अनुचित प्रभाव उन संस्थाओं की स्वतंत्रता एवं प्रभावशीलता को कमजोर करता है, जो जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं।
- **सामाजिक स्वीकृति:** नियमित सार्वजनिक सेवाएँ प्राप्त करने के लिए छोटी रिश्वत को सामान्य मान लेने से ऐसा वातावरण बनता है, जिसमें भ्रष्टाचार को प्रशासनिक देरी दूर करने के एक अनौपचारिक साधन के रूप में देखा जाने लगता है।
- **व्हिसलब्लोअर संरक्षण का अभाव:** पेशेवर प्रतिशोध, उत्पीड़न अथवा धमकियों के भय के कारण व्यक्ति भ्रष्टाचार की शिकायत करने से हिचकिचाते हैं।

भ्रष्टाचार से निपटने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन:** वर्ष 2018 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन कर रिश्वत देने को अपराध घोषित किया गया तथा रिश्वतखोरी में संलिप्त वाणिज्यिक संगठनों के लिए दायित्व का प्रावधान किया गया।
- **भ्रष्टाचार-रोधी संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण:**
  - **केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)** सर्वोच्च सतर्कता संस्था के रूप में कार्य करता है तथा दंडात्मक, निवारक और सहभागी सतर्कता को सम्मिलित करने वाली रणनीति अपनाता है।
  - **लोकपाल** को सार्वजनिक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कथित अपराधों से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए कार्यशील बनाया गया है।
  - **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)** गंभीर भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अपराधों की जाँच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - **सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण:** डिजिटल मंच पारदर्शिता बढ़ाते हैं, ऑडिट ट्रेल उपलब्ध कराते हैं तथा विवेकाधीन निर्णय लेने के अवसरों को कम करते हैं।
  - **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)** प्रणाली का उपयोग कल्याणकारी लाभों को सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाने के लिए किया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका तथा धन के रिसाव और भ्रष्टाचार की संभावनाएँ कम हुई हैं।
- **पारदर्शी सार्वजनिक खरीद:** ई-निविदा प्रणाली तथा **सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM)** के उपयोग से सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता एवं मानकीकरण में वृद्धि हुई है।

आगे की राह

- **समयबद्ध जाँच:** भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच एवं विचारण स्पष्ट रूप से निर्धारित समय-सीमा के अंदर किया जाना चाहिए। इसके साथ ही भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पर्याप्त संख्या में कार्मिकों से युक्त विशेष न्यायालय होने चाहिए।
- **जाँच की स्वतंत्रता:** जाँच एवं सतर्कता संस्थाओं को पेशेवर और निष्पक्ष जाँच करने के लिए पर्याप्त कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए।
- **व्हिसलब्लोअर संरक्षण:** सद्भावना से भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले व्यक्तियों को प्रभावी कानूनी एवं संस्थागत संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
- **प्रौद्योगिकी-आधारित सतर्कता:** डेटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल ऑडिट ट्रेल तथा वित्तीय फोरेंसिक के व्यापक उपयोग से असामान्य लेन-देन एवं उच्च-जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता मिल सकती है।
- **नैतिक शासन:** भ्रष्टाचार-रोधी उपायों में सत्यनिष्ठा, लोक सेवा के मूल्यों, जवाबदेही तथा नैतिक नेतृत्व पर भी विशेष बल दिया जाना चाहिए।

स्रोत: TH

रक्षा कूटनीति के लिए 'रक्षा(Raksha)' रूपरेखा

समाचार में

- रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में रक्षा कूटनीति पर आधारित **'रक्षा' दस्तावेज** जारी किया।

रक्षा कूटनीति

- यह शांतिकाल में विदेश नीति एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सैन्य परिसंपत्तियों, संसाधनों तथा संस्थानों का **गैर-बलपूर्वक उपयोग** है।
- इसके अंतर्गत संयुक्त सैन्य अभ्यास, बंदरगाह यात्राएँ, खुफिया जानकारी साझा करना, क्षमता निर्माण कार्यक्रम तथा मानवीय राहत जैसे सैन्य-से-सैन्य सहयोग के माध्यम से पारस्परिक विश्वास का निर्माण, संघर्ष की संभावना में कमी तथा **सौम्य शक्ति के माध्यम से प्रभाव का प्रदर्शन** किया जाता है।

मुख्य उद्देश्य

- **विश्वास निर्माण:** सीमा संबंधी तनावों से निपटने तथा अनजाने में तनाव बढ़ने की स्थिति से बचने के लिए खुले संचार माध्यमों, हॉटलाइन प्रणालियों तथा **विश्वास-निर्माण उपायों (CBMs)** की स्थापना करना।
- **समुद्री एवं क्षेत्रीय स्थिरता:** समुद्री डकैती, समुद्री आतंकवाद तथा अवैध मत्स्यन से विश्व की **समुद्री संचार एवं आवागमन लाइनों (SLOCs)** की सुरक्षा के लिए संयुक्त गश्त तथा खुफिया जानकारी साझा करने के माध्यम से सहयोग करना।
- **साझेदार देशों का क्षमता निर्माण:** मित्रवत विदेशी देशों की राष्ट्रीय रक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए सैन्य प्रशिक्षण हेतु अवसर, जल सर्वेक्षण, तकनीकी कौशल तथा रक्षा उपकरणों के निर्यात की सुविधा प्रदान करना।
- **रणनीतिक सामंजस्य:** किसी बाध्यकारी रक्षा संधि के बिना शक्ति-संतुलन सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख रणनीतिक साझेदारों एवं गठबंधनों के साथ **अंतर-संचालनीयता** को बढ़ाना।

प्रमुख चुनौतियाँ

- **नौकरशाही समन्वय:** कभी-कभी **विदेश मंत्रालय (MEA)** और **रक्षा मंत्रालय (MoD)** के बीच समन्वय के अभाव के कारण रक्षा समझौतों को क्रियान्वित करने में देरी हुई है।
- **भूराजनीतिक संतुलन:** किसी एक देश के साथ रक्षा संबंधों को सुदृढ़ करने से कभी-कभी दूसरे देश के साथ संबंधों में दूरी उत्पन्न होने का जोखिम रहता है।
- **क्षमता एवं प्रशिक्षण संबंधी बाधाएँ:** ग्लोबल साउथ के साझेदार देशों द्वारा युद्ध प्रशिक्षण संस्थानों एवं सैन्य अकादमियों में प्रशिक्षण अवसरों की माँग सामान्यतः उपलब्ध भौतिक क्षमता तथा समर्पित संस्थागत संसाधनों से अधिक है।
- **सहायता पारिस्थितिकी तंत्र:** रक्षा निर्यात के लिए दीर्घकालिक **रखरखाव, मरम्मत एवं ओवरहॉल (MRO)** तथा बिक्री-पश्चात सहायता की महत्वपूर्ण आवश्यकताएँ होती हैं। इन क्षमताओं को स्थापित विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के समकक्ष लाने की आवश्यकता निरंतर बढ़ रही है।

नवीनतम विकास एवं प्रगति

- **'रक्षा' रणनीतिक रूपरेखा:** यह आगमी 10 वर्षों के लिए वैश्विक रक्षा साझेदारियों के संदर्भ में भारत की रणनीतिक दिशा एवं दृष्टिकोण को रेखांकित करती है।
  - यह भारत के रणनीतिक जुड़ाव में एक परिवर्तन को दर्शाती है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को सक्रिय वैश्विक सहयोग के साथ जोड़ा गया है तथा दीर्घकालिक स्थिरता एवं पारस्परिक विकास को बढ़ावा दिया गया है।
  - **प्रमुख स्तंभ:**
    - **रणनीतिक गठबंधन:** द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करना।
    - **क्षमता निर्माण:** मित्रवत देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यासों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों के आदान-प्रदान को सुदृढ़ करना।
    - **स्वदेशी रक्षा निर्यात:** भारत में निर्मित रक्षा प्लेटफॉर्मों के माध्यम से भारत को रक्षा विनिर्माण के एक सक्षम वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना।
    - **समुद्री सुरक्षा:** हिंद महासागर क्षेत्र में **शुद्ध सुरक्षा प्रदाता** एवं **प्रथम प्रत्युत्तरकर्ता** के रूप में भारत की भूमिका को सुदृढ़ करना।
- **महासागर (MAHASAGAR):** भारत की **'पड़ोसी प्रथम' नीति** तथा **'दृष्टिकोण महासागर (MAHASAGAR)'** — क्षेत्रों में सुरक्षा एवं विकास के लिए पारस्परिक और समग्र प्रगति— के अनुरूप, भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में प्रमुख साझेदारों एवं समान विचारधारा वाले देशों के साथ सुदृढ़ द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय साझेदारियाँ विकसित की हैं।
  - **दृष्टिकोण महासागर** में विकास के लिए व्यापार, सतत विकास हेतु क्षमता निर्माण तथा साझा भविष्य के लिए पारस्परिक सुरक्षा की अवधारणाएँ सम्मिलित हैं।

निष्कर्ष

- रक्षा कूटनीति अब राज्य-कौशल के क्षेत्र में कोई गौण तत्व नहीं रह गई है, बल्कि यह **सुरक्षा, औद्योगिक क्षमताओं तथा विदेश संबंधों के संगम** पर स्थित एक महत्वपूर्ण साधन बन गई है।

- 'रक्षा' जैसी रणनीतिक नीतिगत रूपरेखाओं तथा स्वदेशी रक्षा निर्यात के विस्तार के माध्यम से भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक **स्थिर आधार एवं विश्वसनीय सुरक्षा आपूर्तिकर्ता** के रूप में अपनी भूमिका को परिभाषित करने में योगदान दे रहा है।
- इन रणनीतिक आकांक्षाओं को दीर्घकालिक एवं स्थायी राजनयिक साझेदारियों में परिवर्तित करने के लिए **संस्थागत क्षमता का निर्माण तथा अंतर-मंत्रालयी समन्वय के माध्यम से प्रभावी क्रियान्वयन** महत्वपूर्ण बना रहेगा।

स्रोत: PIB

संक्षिप्त समाचार

एल नीनो (El Niño)

संदर्भ

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने चेतावनी दी है कि आगामी वाले महीनों में **एल नीनो** असाधारण स्तर तक तीव्र हो सकता है और वर्ष 2027 के आरंभ तक बना रह सकता है। इससे विश्वभर में अत्यधिक गर्मी, सूखे तथा बाढ़ जैसी चरम मौसमी घटनाओं का जोखिम बढ़ सकता है।

परिचय

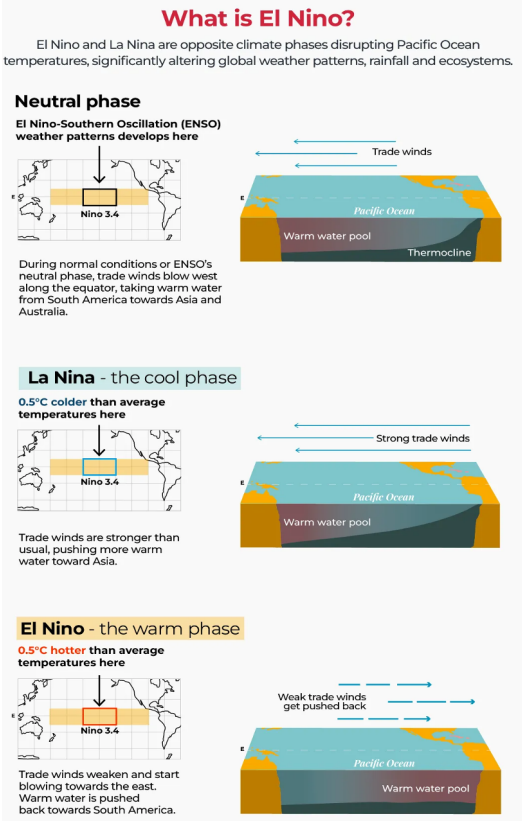

स्रोत: Al Jazeera

भारतीय विधिज्ञ परिषद (BCI)

संदर्भ

- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि **भारतीय विधिज्ञ परिषद (BCI)** के पास अधिवक्ताओं के रूप में नामांकन से पहले विधि छात्रों के आचरण को विनियमित करने की कोई वैधानिक शक्ति नहीं है।

पृष्ठभूमि

- यह विवाद हैदराबाद स्थित **NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ** में उस समय उत्पन्न हुआ, जब छात्रों ने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश **सूर्यकांत** को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने के प्रस्ताव पर आपत्ति व्यक्त की यह आपत्ति न्यायालय में उनकी मौखिक टिप्पणियों के बाद सामने आई थी, जिनमें उन्होंने युवाओं की तुलना **"परजीवी" और "कॉकरोच"** से की थी।
- इसके प्रत्युत्तर में, BCI ने राज्य विधिज्ञ परिषदों को निर्देश जारी कर NALSAR के वर्ष 2026 के स्नातकों का अधिवक्ताओं के रूप में नामांकन रोकने को कहा। बाद में इन निर्देशों को वापस ले लिया गया।

भारतीय विधिज्ञ परिषद (BCI)

- **परिचय :**
  - BCI एक **वैधानिक निकाय** है, जिसकी स्थापना **अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 4** के अंतर्गत की गई है। यह भारत में विधि व्यवसाय तथा विधि शिक्षा को विनियमित करता है।
  - इसके सदस्य भारत के विभिन्न विधिज्ञों में से निर्वाचित होते हैं और इस प्रकार यह भारतीय अधिवक्ता समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है।
- **संरचना :**
  - इसमें प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परिषद से निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त **भारत के महान्यायवादी** तथा **भारत के सॉलिसिटर जनरल** पदेन सदस्य होते हैं।
  - परिषद अपने सदस्यों में से दो वर्ष की अवधि के लिए स्वयं अपने **अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष** का निर्वाचन करती है।
- **कार्य :**
  - अधिवक्ताओं के लिए व्यावसायिक आचरण एवं शिष्टाचार के मानक निर्धारित करना।
  - विधि शिक्षा के मानक निर्धारित करना।
  - विधि की डिग्री प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना।
  - अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों एवं हितों की रक्षा करना।

- विधि सुधार को बढ़ावा देना एवं उसका समर्थन करना।
- राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा संदर्भित किसी भी मामले पर विचार करना तथा उसका निस्तारण करना।
- निर्धन व्यक्तियों के लिए विधिक सहायता का आयोजन एवं प्रावधान करना।
- भारत से बाहर प्राप्त विधि संबंधी विदेशी योग्यताओं को अधिवक्ता के रूप में प्रवेश हेतु मान्यता प्रदान करना।

स्रोत: AIR

नैन्सी ग्रेस रोमन अंतरिक्ष दूरबीन

समाचार में

- NASA ने SpaceX के रॉकेट के माध्यम से **नैन्सी ग्रेस रोमन अंतरिक्ष दूरबीन** का प्रक्षेपण किया। इसका नाम **"हबल की जननी"** कही जाने वाली नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने अंतरिक्ष-आधारित खगोल विज्ञान के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी।

प्रमुख तकनीकी विशेषताएँ

- **स्थिति-बिंदु :** यह पृथ्वी से लगभग **12 लाख किलोमीटर** दूर स्थित **लैग्रेंज बिंदु-2 (L2)** से संचालित होगी। यहाँ सूर्य एवं पृथ्वी के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण के कारण अपेक्षाकृत स्थिर वातावरण तथा ब्रह्मांड का निर्बाध अवलोकन संभव होता है। **जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन** भी इसी क्षेत्र से कार्य करती है।
- **उपकरण :**
  - **वाइड फील्ड इंस्ट्रूमेंट :**यह **300 मेगापिक्सेल की अवरक्त कैमरा प्रणाली** है, जो आकाश के ऐसे क्षेत्र का अवलोकन कर सकती है जिसका क्षेत्रफल चंद्रमा के आभासी आकार से लगभग **1.5 गुना** है। यह हबल अंतरिक्ष दूरबीन की तुलना में छवियों को लगभग **1,000 गुना अधिक तीव्रता से** संसाधित कर सकती है।
  - **कोरोनाग्राफ :**यह चमकीले तारों से आने वाले प्रकाश को अवरुद्ध करके उनकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों से परावर्तित होने वाले अत्यंत मंद प्रकाश का पता लगाने में सहायता करेगा। इसकी कार्यप्रणाली सूर्य के कोरोना को देखने के लिए प्रयुक्त सुरक्षात्मक उपकरणों के समान है।

महत्त्व

- **डार्क मैटर एवं डार्क एनर्जी का अध्ययन:** सामान्य पदार्थ ब्रह्मांड का केवल लगभग **5%** है, जबकि **डार्क मैटर 27%** तथा **डार्क एनर्जी 68%** है, जिनके बारे में अभी भी पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह दूरबीन अब तक का सबसे विस्तृत **डार्क मैटर मानचित्रण** करने में सहायता करेगी, विशेष रूप से तारों के प्रारंभिक निर्माण के चरणों के अध्ययन में।
- **गुरुत्वाकर्षणीय लेंसिंग का अध्ययन:** दूरस्थ क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण द्वारा प्रकाश के मुड़ने को मापकर यह ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं के वितरण का **त्रि-आयामी मानचित्र** तैयार करने में सहायता करेगी।
- **बहिर्ग्रहों की खोज:** अब तक **6,000 से अधिक बहिर्ग्रहों** की पहचान की जा चुकी है। रोमन की व्यापक आकाश सर्वेक्षण क्षमता इस सूची का उल्लेखनीय रूप से विस्तार कर सकती है तथा पृथ्वी से परे जीवन की खोज को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकती है।

स्रोत: IE

परमाणु रिएक्टर के लिए थोरियम-आधारित ईंधन

समाचार में

- परमाणु वैज्ञानिक अनिल काकोडकर ने देश के स्वदेशी दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWR) बेड़े में, जारी तीन-चरणीय परमाणु कार्यक्रम के साथ-साथ, थोरियम-आधारित ईंधन को शामिल करने का समर्थन किया है।

थोरियम (रासायनिक प्रतीक: Th)

- थोरियम एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रेडियोधर्मी धातु है, जो मृदा, चट्टानों, जल, पौधों तथा जीव-जंतुओं में अल्प मात्रा में पाया जाता है।
  - सामान्य परिस्थितियों में यह ठोस अवस्था में होता है। थोरियम के प्राकृतिक तथा मानव-निर्मित दोनों रूप पाए जाते हैं और ये सभी रेडियोधर्मी होते हैं।
- सामान्यतः प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला थोरियम Th-232, Th-230 अथवा Th-228 के रूप में विद्यमान होता है।

भारत का तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम

- भारत में यूरेनियम के भंडार सीमित हैं, किंतु विश्व के सबसे बड़े थोरियम भंडारों में से एक भारत में उपलब्ध है।
- इसी कारण, परमाणु ऊर्जा विभाग ने उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए बंद परमाणु ईंधन चक्र पर आधारित तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तैयार किया है।
- इसका उद्देश्य विखंडनीय पदार्थ की घरेलू उपलब्धता में क्रमिक वृद्धि करना तथा दीर्घावधि में ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है।
  - **चरण 1: दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWR):** PHWR विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करते हैं। इन रिएक्टरों से प्राप्त प्रयुक्त ईंधन से प्लूटोनियम प्राप्त होता है, जो आगामी चरण के लिए प्रमुख इनपुट है।

- **चरण 2: फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR):** इस चरण में ईंधन के रूप में चरण 1 से प्राप्त प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है।
  - यह ईंधन फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों को संचालित करता है, जो जितना ईंधन खपत करते हैं, उससे अधिक ईंधन का उत्पादन करते हैं। कल्पक्कम PFBR भारत के इस चरण में प्रवेश का प्रतिनिधित्व करता है। इन रिएक्टरों का उपयोग थोरियम से U-233 उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा, जिससे तीसरे चरण का मार्ग प्रशस्त होगा।
- **चरण 3: थोरियम-ईंधन आधारित रिएक्टर:** इस चरण में भारत के विशाल थोरियम भंडार का व्यापक उपयोग किया जाएगा तथा चरण 2 में उत्पन्न यूरेनियम-233 (U-233) को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा।
  - थोरियम को ऊर्जा का लगभग असीमित स्रोत माना जाता है और यह चरण भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

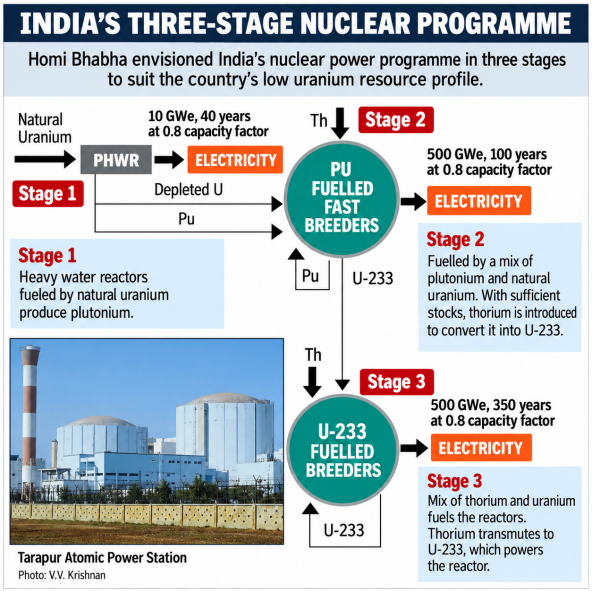

स्रोत: IE

पिचावरम मैंग्रोव

संदर्भ

- हाल ही में किए गए एक अध्ययन में पिचावरम मैंग्रोव पारितंत्र का कुल आर्थिक मूल्य (TEV) ₹2,485.38 करोड़ अनुमानित किया गया है।

मैंग्रोव क्या हैं?

- मैंग्रोव लवण-सहिष्णु पौधों का एक समुदाय है, जो उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय ज्वारीय अंतःक्षेत्रीय क्षेत्रों में पाया जाता है।
  - ये पारितंत्र अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों (1,000–3,000 मिमी) में पनपते हैं, जहाँ तापमान सामान्यतः 26°C से 35°C के बीच रहता है।
  - मैंग्रोव प्रजातियाँ जलभराव वाली मिट्टी, उच्च लवणता तथा बार-बार आने वाले ज्वारीय उफान जैसी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होती हैं।
- **भारत में मैंग्रोव:** इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 (ISFR-2023) के अनुसार, भारत में कुल मैंग्रोव आवरण 4,991.68 वर्ग किमी है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है।
  - पश्चिम बंगाल में देश के मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो कुल मैंग्रोव आवरण का 42.45% है। इसके बाद गुजरात (23.32%) तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (12.19%) का स्थान है।

मैंग्रोव का पारिस्थितिक एवं आर्थिक महत्त्व

- **जलवायु विनियमन:** मैंग्रोव महत्वपूर्ण ब्लू कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। वे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण एवं भंडारण करके जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में सहायता करते हैं।
  - मैंग्रोव वनस्पति औसतन 79.449 टन कार्बन प्रति हेक्टेयर संचित करती है। यह लगभग 291.33 टन CO_2 प्रति हेक्टेयर के बराबर है।
- **आजीविका सृजन:** मैंग्रोव वैश्विक उष्णकटिबंधीय वनों के आवरण के 1% से भी कम क्षेत्र में पाए जाते हैं, किंतु तट से 100 किमी के अंदर रहने वाले अनुमानित 2.4 अरब लोगों को महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र वस्तुएँ एवं सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- **तटीय संरक्षण:** मैंग्रोव तूफानों, तटीय अपरदन तथा बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करते हैं; भोजन एवं इमारती लकड़ी के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं; जल की गुणवत्ता में सुधार करते हैं तथा कार्बन का अवशोषण एवं भंडारण करते हैं।
- **जैव विविधता हॉटस्पॉट:** मैंग्रोव वन 1,533 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के लिए प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराते हैं। इनमें अनेक व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियों के लिए प्रजनन एवं पोषण क्षेत्र भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, ये प्रवाल भित्तियों तथा समुद्री घास के मैदानों जैसे आसन्न पारितंत्रों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हैं।

पिचावरम मैंग्रोव वन

- 1,478.64 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला पिचावरम मैंग्रोव वन भारत के सबसे बड़े एवं सर्वोत्तम संरक्षित मैंग्रोव पारितंत्रों में से एक है। यह तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में वेल्लार एवं कोलेरून नदियों के मुहानों के बीच स्थित है।

स्रोत: TH, PIB, UNEP